सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक , 1944 (श०)

संख्या – 528 राँची, बुधवार, 9 नवम्बर, 2022 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

3 मार्च, 2021

एस०ओ०-

संख्या-2(ए)/न्या० गठन-30/2019-379/जे०--The Specific Relief Act, 1963 (Amendment) Act, 2018 की धारा-**20(B)**के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज वादों की सुनवाई हेतु राज्य सरकार, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के परामर्श से राज्य के सभी न्यायमंडलों में सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-I के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदभिहित (Designate) करती है] जिनका क्षेत्राधिकार संबंधित जिलों की स्थानीय सीमाएँ होंगी ।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रभावी होगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग

अधिसूचना

3 मार्च, 2021

एस०ओ०-

संख्या-2(ए)/न्या० गठन-30/2019-379/जे०--निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

NOTIFICATION

S.O.

(File No.- B/Vidhi-Court Gathan-30/2019-379 /J)--In exercise of the powers conferred by the Section-20(B) of the Specific Relief Act, 1963 (Amendment) Act, 2018, the State Government in consultation with the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi is pleased to designate the Court of Civil Judge (Senior Division)-I in all the Judgeships of the state as Special Court to try the offences under this Act, the Jurisdictions of which shall be the local limits of the concerned districts.

2. This Notification shall come into force with immediate effect.

By the order of Governor of Jharkhand,

Sanjay Prasad,
Principal Secretary-cum-L.R.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 528 – 50